1948 ई0 का संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और उसकी गाँठे बनाने के कारखानों का ऐक्ट

(संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 9, 1949 ई0)

THE UNITED PROVINCES COTTON GINNING AND PRESSING FACTORIES ACT, 1948

(U.P. Act No. IX of 1949)

1948 ई० का संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और उसकी गाँठे बनाने के कारखानों का एक्ट[1]

[संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 9, 1949 ई0]

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1956 ई0

द्वारा संशोधित

एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

[संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव एसेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल ने क्रमशः 23 अक्टूबर, 1948 ई0 तथा 17 जनवरी, 1949 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

भारतीय (अस्थाई विधान) आदेश सन् 1947 ई० द्वारा अनुकथित भारत–शासन–विधान सन् 1935 ई० को धारा 76 के अन्तर्गत गवर्नर जनरल ने तारीख 31 मई, 1949 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और संयुक्त प्रान्तीय सरकारी गजट में तारीख 18 जून, 1949 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

क्योंकि यह उचित तथा आवश्यक है कि संयुक्त प्रांत में रुई ओटने और उसकी गांठ बनाने के कारखानों तथा उससे सम्बन्धित अन्य विषयों से सम्बन्ध रखने वाले विधानों को एकत्रित तथा संशोधित किया जाय।

अतः निम्नांकित विधान बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) इस ऐक्ट का नाम 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और उसकी गांठे बनाने के कारखानों का ऐक्ट होगा।

(2) यह सम्पूर्ण [उत्तर प्रदेश][2] में लागू[3] होगा ।

(3) यह धारा तुरन्त लागू[4] होगी और शेष धारायें, ऐसी तारीख को और ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगी, जिन्हें [राज्य सरकार][5] सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निर्धारित करे।

रद्द करना ऐक्ट सं0 12.1925 ई0, एक्ट सं0 14. 1939 ई0 प्रं0 सं0 ऐक्ट सं0 15, 1941 ई0

2–दि काटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्टरीज ऐक्ट, 1925 ई0, दि काटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्टरीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1939 ई0, जहां तक वह संयुक्त प्रांत में लागू हैं और दि काटन जिनिंग ऐन्ड प्रेसिंग फैक्टरीज (यूनाइटेड प्रविसेज अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1941 ई0, जो कि सन् 1948 ई0 के संयुक्त प्रान्त के समाप्त होने वाले ऐक्टों को जारी रखने के ऐक्ट द्वारा फिर से वैधानिक किया गया था, इस धारा के द्वारा रद्द किए जाते हैं।

परिभाषाएं

3–इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात, विषय अथवा प्रसंग के विपरीत न हो––

(क) "रुई की मिलावट" से तात्पर्य विभिन्न प्रकार की रुई के एक नियत मिश्रण से है।

---

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए तारीख 1 मई, 1948 ई0 का संयुक्त–प्रान्तीय असाधारण गजट देखिए।
2. इस अधिनियम का विस्तार रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) एक्ट, 1950 ई0 तथा बनारस एवं टेहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949 ई0 द्वारा क्रमशः रामपुर, बनारस तथा टेहरी गढ़वाल विलीन राज्यों को किया गया।
3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950ई0 द्वारा यूनाइटेड प्राविंसेज, के लिए प्रतिस्थापित।
4. गजट, दिनांक 16 सितम्बर, 1950ई0 प्रथम भागपृष्ठ 661 में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 बी–4489ए बारह–ए–613–50, दिनांक 8 सितम्बर, 1950 ई0 द्वारा अधिनियम की धारा 6,7,8,9, तथा 10 के उपबन्ध सर्वप्रथम मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फतेहपुर, कानपुर, हरदोई, इटावा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, बदायूं, मुरादाबाद, नैनीताल, जालौन, एवं बांदा जिलों को प्रवृत्त किए गए एवं तत्पश्चात गजट, दिनांक 8 मार्च, 1952 ई0 भाग एक, पृष्ठ 205 और 206 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या बी–5184–ए बारह–ए0–613–50, दिनांक 21 मार्च, 1952 ई0 द्वारा अधिनियम की धारायें 2 से 22 के उपबन्ध 1 मार्च, 1952 ई0 से उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में प्रवृत्त किए गये।
5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950ई0 द्वारा [प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट] के लिए प्रतिस्थापित।

(ख) "गांठ" से तात्पर्य दबाई हुई रुई के किसी गढ्ढे से हैं, जो किसी भी नाप अथवा घनत्व का हो;

(ग) "रुई" से तात्पर्य ओटी हुई अथवा बिना ओटी हुई रुई अथवा रुई के छीजन से है;

(घ) "रूई ओटने के कारखाने" से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है, जहां रूई ओटी जाती हो अथवा जहां रूई का रेशा किसी भी विधि से, जिसमें भाप, पानी अथवा अन्य कलों (मशीनों) की शक्ति अथवा विद्युत शक्ति का उपयोग सम्मिलित है, बिनौले से अलग किया जाता है;

(ङ) "रुई की गांठ बनाने के कारखाने" से तात्पर्य किसी ऐसे कारखाने से है जिसकी परिभाषा कारखानों के एक्ट, 1934 ई0 (दि फैक्टरीज एक्ट, 1934 ई०) में दी गई है और जहां रुई को दबा कर गांठे बनाई जाती हों; **एक्ट सं0 25, 1934 ई0**

(च) "रूई की छीजन" से तात्पर्य किसी रुई के कपड़े को मिल अथवा किसी रुई ओटने के कारखाने अथवा रुई के गांठ बनाने के कारखाने की गिरी हुई अथवा उड़ी हुई रुई अथवा रुई की किसी और प्रकार की छीजन से है, परन्तु उसमें सूत की छीजन सम्मिलित नहीं है;

(छ) "भारतीय केन्द्रीय रुई समिति"(इडियन सेन्ट्रल काटन कमेटी) से तात्पर्य उस भारतीय केन्द्रीय रुई समिति से है, जो भारतीय रुई सेस (कर) ऐक्ट, 1923 ई0 (इण्डियन काटन सेस ऐक्ट, 1923 ई0) के अन्तर्गत बनाई गई हो, और उसमें कोई ऐसी उप–समिति भी सम्मिलित है, जो उस ऐक्ट के अन्तर्गत भारतीय केन्द्रीय रुई समिति के किसी कार्य को करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त की गई हो; **एक्ट सं0 14, 1923 ई0**

(ज) "लाइसेन्स" से तात्पर्य धारा 4 के अन्तर्गत स्वीकृत लाइसेन्स से है;

(झ) "अधिवासी'' (ऑक्यूपायर) में मैनेजिंग एजेन्ट अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जिसे अधिवासी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त हो;

(00) "नियत" से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाए हुए नियमों द्वारा नियत से हैं; और

(ट) "ऋतु"से तात्पर्य उस अवधि से हैं, जो समय–समय पर नियत की जाय।

रूई ओटने अथवा रूई दबाकर उसकी गांठें बनाने के कारखाने को चलाने के लिए लाइसेंस

4–(1) कोई रूई ओटने का कारखाना अथवा रुई की गांठे बनाने का कारखाना उस समय तक नहीं चलाया जायगा जब तक कि उसके स्वामी को ऐसे अधिकारी द्वारा, ऐसे रूप में, ऐसे प्रतिबन्धों सहित तथा ऐसा शुल्क (fees) देने पर, जो नियत किया जाय, लाइसेन्स न दिया गया हो।

(2) (क) ऐसा लाइसेन्स, जिसके लिए नियत शुल्क दे दिया गया हो, केवल इस कारण अस्वीकृत किया जा सकेगा कि रुई ओटने अथवा रूई की गांठें बनाने के जिस कारखाने के लिए लाइसेन्स लेने के लिए प्रार्थना–पत्र दिया गया है उसका स्वामी या संरक्षक व्यक्ति इस ऐक्ट के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दंडित हो चुका है।

(ख) कोई लाइसेन्स केवल इस कारण स्थगित किया, वापस लिया अथवा रद्द किया जा सकेगा कि रुई ओटने अथवा रुई की गांठें बनाने से सम्बन्धित कारखाने के स्वामी अथवा संरक्षक व्यक्ति को इस ऐक्ट के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई लाइसेन्स इस वाक्यखण्ड के अन्तर्गत स्थगित किया, वापस लिया अथवा रद्द किया न जा सकेगा जब तक कि वह ऋतु समाप्त न हो जाय, जिसमें उक्त स्वामी अथवा व्यक्ति को इस प्रकार दण्डित किया गया हो।

(3) ऐसे व्यक्ति को, जो रुई ओटने अथवा रुई की गांठें बनाने के किसी ऐसे कारखाने को चलाता है, जिसके सम्बन्ध में लाइसेन्स नहीं दिया गया हो अथवा स्थगित कर दिया या वापस कर लिया या रद्द कर दिया गया हो, निम्नलिखित दण्ड दिया जायगा:–

(1) प्रथम बार दण्डित होने पर अर्थदण्ड दिया जायगा, जो 500 रुपये तक हो सकता है और यदि अपराध एक से अधिक दिन तक होता रहा है तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायगा, जो प्रथम दिन के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराध निरन्तर किया गया हो, 100 रूपया तक हो सकता है; और

(2) उसके उपरान्त प्रत्येक बार दण्डित होने पर अर्थदण्ड दिया जायगा, जो 1500 रूपये तक हो सकता है और यदि अपराध एक से अधिक दिन तक होता रहा हो, तो अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायगा, जो प्रथम दिन के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराध निरन्तर किया गया हो, 200 रूपये तक हो सकता है।

रजिस्टरों का रखा जाना

5–(1) प्रत्येक रुई ओटने अथवा रुई की गांठे बनाने के कारखाने का स्वामी क्रमशः कारखाने में ऐसे रूप में, जो नियत किया जाय––

(क) एक ओटने का रजिस्टर रखवाएगा, जिसमें कारखाने में ओटी हुई सब रुई का परिमाण, उन व्यक्तियों के नाम, जिनके लिए रुई ओटी गई हो, वे तारीखें, जब रुई ओटी गई हो और उस रुई का परिमाण, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ओटी गई हो, लिखे जायंगे ; अथवा

(ख) गांठे बनाने का एक रजिस्टर रखवाएगा, जिसमें रुई की उन गांठों की संख्या, जो प्रतिदिन कारखाने में दबाकर बनाई जाय, प्रत्येक गांठ की क्रम संख्या, उस व्यक्ति का नाम, जिसके लिए यह गांठ दबा कर बनाई गई हो तथा कोई दूसरा नियत ब्योरा, लिखे जायेंगे।

(2) रुई ओटने या रुई की गांठे बनाने के कारखाने का स्वामी अथवा संरक्षक व्यक्ति रुई ओटने अथवा रुई की गांठे बनाने का कोई भी रजिस्टर जो इस धारा के अधीन रक्खा गया हो, प्रस्तुत करेगा। जब उसे ऐसा करने का आदेश कोई ऐसा व्यक्ति दे, जिसे इस सम्बन्ध में [राज्य सरकार][1] ने नियुक्त किया हो और रुई को गांठें बनाने के किसी कारखाने का स्वामी या संरक्षक व्यक्ति भारतीय केन्द्रीय रुई समिति (इण्डियन सेण्ट्रल काटन कमेटी) को, यदि वह समिति उसको ऐसा करने का लिखित आदेश दे, कारखाने में रक्खे गए, गांठे बनाने के किसी रजिस्टर के उस उल्लेख का, जो किसी निर्दिष्ट गांठ के सम्बन्ध में हो,कारखाने के स्वामी या संरक्षक व्यक्ति द्वारा प्रमाणित शुद्ध प्रतिलिपि देगा।

(3) कोई भी ऐसा रजिस्टर, जिसे इस धारा के अधीन रखना आवश्यक हो, उसके अन्तिम उल्लेख की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक नष्ट नहीं किया जायेगा।

(4) यदि––

(1) किसी कारखाने में कोई रजिस्टर, जिसे इस धारा के अधीन रखना आवश्यक हो, नहीं रखा जाता अथवा वह इस प्रयोजन के लिए नियत रूप के अतिरिक्त किसी और रूप में रखा जाता है ; अथवा

(2) ऐसे रजिस्टर का कोई उल्लेख किसी भी तत्व की बात के सम्बन्ध में झूठा सिद्ध हो जाता है ; अथवा

(3) ऐसा कोई रजिस्टर उपधारा (3) में उल्लिखित अवधि के पूर्व नष्ट कर दिया जाता है,

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (प्राविन्शियल गर्वनमेंट) के लिए प्रतिस्थापित।

तो कारखाने के स्वामी को अर्थ दण्ड दिया जायगा, जो 50 रुपया तक हो सकता है, और यदि वह इस उपधारा के अधीन किसी अपराध में पहले दण्डित हो चुका है, तो उसे ऐसा अर्थदण्ड दिया जायेगा जो 500 रुपया तक हो सकता है।

(5) यदि किसी कारखाने का स्वामी अथवा संरक्षक व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन आदेश दिए जाने पर कोई रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता अथवा किसी उल्लेख की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं देता अथवा किसी उल्लेख की ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि देता है, जिसके सम्बन्ध में वह जानता हैं अथवा जिसके सम्बन्ध में उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि वह झूठी है, तो उसे अर्थ-दण्ड दिया जायगा, जो 50 रू0 तक हो सकता है और यदि वह इस उपधारा के अधीन किसी अपराध में पहले दण्डित हो चुका हो, तो उसे अर्थदण्ड दिया जायगा, जो 500 रुपया तक हो सकता है।

रुई पर पानी आदि डालने पर निषेध

6–(1) [राज्य सरकार][1] सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह घोषणा कर सकती है कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी ऐसी रूई में, जो रूई ओटने अथवा रूई की गांठे बनाने के किसी कारखाने में ओटी गई हों अथवा जिसकी गांठे बनाई गयी हों, कोई मिलावट नहीं की जायेगी।

(2) रूई ओटने अथवा रूई की गांठे बनाने के किसी कारखाने के स्वामी अथवा संरक्षक व्यक्ति को––

(क) जिसे यह ज्ञात हो अथवा जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी रूई को भिगोया गया है अथवा उसमें नियत अनुमान से अधिक विनौले हैं, अथवा उसमें कोई भिन्न पदार्थ अथवा रुई की छीजन है, और जो ऐसी रूई को ऐसे कारखाने में ओटता है या उसकी गांठे बनाता है ; अथवा

मिलावट के लिए दण्ड

(ख) जो उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में ऐसी रूई को ओटता है अथवा उसकी गांठे बनाता है अथवा ऐसी रूई को ओटने देता है अथवा उसकी गांठें बनाने देता है, जिसके सम्बन्ध में वह जानता है अथवा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें रूई की मिलावट है, अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो 500 रुपया तक हो सकता है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए उस समय तक यह न समझा जायगा कि रूई भिगोई गई है जब तक कि उसमें सामान्य (normal) मात्रा से अधिक नमी न हो। रूई के किसी परिमाण–विशेष में नमी के सामान्य मात्रा वह समझी जायगी, जिससे उस रूई में इन बातों का ध्यान रखते हुए उचित रूप से होने की सम्भावना हो कि वह किस स्थान पर और वर्ष के किस समय खेत से ली गई या इकट्ठी की गई या कहां और कब ले जाई गई, रखी गई, ओटी गई, या गांठों में भरी गई। जब तक कि इसके विपरीत कोई बात सिद्ध न हो, नियत अधिकारी द्वारा दिया हुआ इस बात का प्रमाण–पत्र कि किसी परिमाण–विशेष को रूई में नमी की कितनी मात्रा होनी चाहिए और उसमें नमी की मात्रा कितनी है, इस विषय का साक्ष्य समझा जयगा और यदि परिमाण–विशेष को उस रूई में नमी की मात्रा उस मात्रा से अधिक है जितनी होनी चाहिए थी तो वह इस बात का साक्ष्य होगा कि वह रूई भिगोई गई है और यह बात तब तक मानी जायगी जब तक कि इसके विपरीत कोई बात सिद्ध न हो।

रूई को भिगोने के सम्बन्ध में दण्ड

7–रुई का स्वामी, जो किसी ओटी हुई रूई को, जिसकी रूई की गांठें बनाने के किसी कारखाने में गांठे बनायी जा रही हों या बनाई जाने वाली हो, जान–बूझ कर भिगायेगा अथवा भिगवायेगा ऐसी रुई में बिनौले, भिन्न पदार्थ अथवा रुई को छीजन

1. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (प्राविंशयल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

अथवा मिलवायेगा अथवा किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसका विवरण धारा 6 को उपधारा (1) में है, किसी प्रकार की रुई की मिलावट करेगा अथवा ऐसा किसी काम के करने में प्रोत्साहन देगा अथवा जानबूझकर अनुमति देगा अथवा उपेक्षा करेगा, तो उसको ऐसा अर्थदण्ड दिया जायगा, जो 5,000 रुपये तक हो सकता है।

रूई के गट्ठे अथवा गांठों की परीक्षा

8–(1) [राज्य सरकार] [1], अपने विचार से अथवा कोई गजटेड अफसर, जिसको सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो, अपने विचार से अथवा इस अभियोग के प्राप्त होने पर कि धारा 6 अथवा 7 के आदेशों का उल्लंघन किसी रुई, रुई के गट्ठे अथवा रूई की गांठ के सम्बन्ध में हुआ है, और अभियोग की दशा में अभियोगी के नियत शुल्क चुका देने पर ऐसी रूई की अथवा ऐसे गट्ठे अथवा गांठ के भीतर की वस्तुओं की परीक्षा नियत व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा करा सकता है या कर सकता है।

(2) ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था का प्रमाण–पत्र, जो उपधारा (1) के अन्तर्गत रूई की किसी गांठ के भीतर की वस्तुओं की परीक्षा करने के बाद दिया गया हो, साक्ष्य रूप से ग्राह्य होगा और अनुमानतः सत्य समझा जायेगा जब तक कि इसके विपरीत कोई बात सिद्ध न की जाय।

प्रवेश तथा निरीक्षण

9–(1) [राज्य सरकार][1], किसी गजेटेड अफसर को यह अधिकार दे सकती है कि वह किसी रूई ओटने के अथवा रूई की गांठें बनाने के कारखाने में सब उचित समयों पर प्रवेश करे और उसका निरीक्षण, यह निश्चय करने के लिये करे कि क्या इस ऐक्ट के किसी आदेश का अथवा तद्धीन बनाये गये किसी नियम का अथवा ऐसे प्रतिबन्धों में से किसी का जिनके अधीन ऐसे कारखाने को लाइसेन्स दिया गया है, उल्लंघन हो रहा है अथवा हुआ है और वह ऐसी सब वस्तुओं को अपने अधिकार में ले लेगा, जिनके सम्बन्ध में यह प्रतीत हो कि कोई ऐसा अपराध किया गया है। जो इस ऐक्ट के अधीन दण्डनीय है।

(2) रूई ओटने के अथवा रूई की गांठ बनाने के प्रत्येक कारखाने का स्वामी अथवा संरक्षक व्यक्ति निरीक्षक अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन उसके कर्तव्यों के पालन करने में यथोचित सहायता प्रदान करेगा।

(3) ऐसे कारखाने के स्वामी अथवा संरक्षक व्यक्ति को निरीक्षण के समय उपस्थित रहने की अनुमति प्रत्येक दशा में दी जायगी और ऐसे निरीक्षण के समय अधिकार में ली गई वस्तुओं पर नियत ढंग से मोहर लगाई जायगी।

गांठों पर चिन्ह बनाना

10–(1) रूई की गांठ बनाने के प्रत्येक कारखाने का स्वामी ऐसी प्रत्येक गांठ को, जो कारखाने में बनाई गई हो, गांठ बनाने के भवन से हटाने के पूर्व उस पर नियत ढंग से एक क्रम संख्या तथा ऐसा चिन्ह अंकित करायेगा जो उस कारखाने के लिये नियत किया गया हो।

(2) यदि रूई की कोई गांठ, किसी गांठ बनाने के कारखाने के गांठ बनाने के भवन से, ऐसे चिन्हों को अंकित किये बिना, जो उपधारा (1) के अन्तर्गत आवश्यक हों, हटाई जायगी, तो उसे कारखाने के स्वामी को ऐसा अर्थ दण्ड दिया जायगा, जो 50 रु0 तक हो सकता है।

विवरण–पत्र

11–(1) रूई ओटने के प्रत्येक कारखाने का स्वामी, ऐसे समय में और ऐसे रूप में, जो नियत किये जायं नियत अधिकारी के पास ऐसे [साप्ताहिक] [2] विवरण–पत्र भेजेगा, जिनमें पिछले [सप्ताह][1] में और ऋतु के आरम्भ से उस [सप्ताह][2] के अन्त तक, कारखाने में ओटी हुई रूई की मात्रा दिखाई जायगी।

---

1. एडेप्टेशन आफ लॉज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1956 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) [राज्य सरकार][1] ऐसे [साप्ताहिक][2] विवरणों के आधार पर, जो उपधारा (1) के अन्तर्गत भेजे गये हों, एक ऐसा विवरण–पत्र उस ढंग से, जिसे वह उपयुक्त समझे, संकलित और प्रकाशित करेगी और उसमें ऐसी सब रूई की मात्रा दिखायी जायेगी, जो [राज्य][3] में उस [सप्ताह][2] के भीतर, और ऋतु के आरम्भ से उस [सप्ताह][2] के अन्त तक ओटी गयी हो, जिसके सम्बन्ध में आंकड़े दिये गये हैं :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि रूई की मात्रा, जो किसी एक कारखाने में ओटी गयी हो, प्रकाशित नहीं की जायगी।

(3) रुई की गांठ बनाने के प्रत्येक कारखाने का स्वामी नियत अधिकारी के पास ऐसी अवधि में तथा ऐसे रूप में, जो नियत किये जांय ऐसे [साप्ताहिक][2] विवरण भेजेगा, जिनमें रूई की ऐसी गांठों के, जो पिछले सप्ताह में और ऋतु आरम्भ से उस [सप्ताह][2] के अन्त तक बनायी गयी हों, सब आंकड़े दिखाये जायेंगे और उनमें उस [सप्ताह][2] में बनाई हुई गांठों की लगभग औसत शुद्ध (नेट) तौल भी दी जायगी।

(4) [राज्य सरकार][1] साप्ताहिक आंकड़ों के विवरण के आधार पर, जो उसके पास उपधारा (3) के अन्तर्गत भेजे गये हों, एक विवरण–पत्र उस ढंग से, जिसे वह उपयुक्त समझे, संकलित तथा प्रकाशित करेगी, जिसमें उस सप्ताह में, और ऋतु के आरम्भ से उस [सप्ताह][2] के अन्त तक, जिनके सम्बन्ध में आंकड़े हों, [राज्य][3] में बनाई हुई सब गांठों का योग दिखाया जायगा :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी गांठों की संख्या, जो किसी एक कारखाने में बनाई गई हों, प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(5) यदि किसी ऐसी विवरण के भेजने में चूक अथवा उपेक्षा की जाय, जिसका भेजना उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के अधीन आवश्यक हो, तो कारखाने के स्वामी को अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो 50 रुपये तक हो सकता है।

(6) उस दशा में, जब रूई ओटने के अथवा रूई को दबा कर गांठें बनाने के कारखाने के किसी स्वामी ने नियत अधिकारी को यह सूचना दी हो कि उस कारखाने में रूई ओटने अथवा रुई दबा कर गांठें बनाने का कार्य स्थगित कर दिया गया है, तो स्वामी के लिये उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के अधीन विवरणों को देना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि कार्य फिर से चालू न कर दिया जाय।

स्वामी के रूप में पट्टेदार का दायित्व

12–(1) उस दशा में, जब रूई ओटने अथवा उसकी गांठें बनाने के कारखाने के स्वामी ने रूई ओटने के किसी कारखाने को किसी ऐसी अवधि के लिये, जो एक मास से कम न हो, और रूई दबाकर गांठे बनाने के किसी कारखाने को ऐसी अवधि के लिये, जो 3 मास से कम न हो, पट्टे पर दे दिया हो तथा पट्टा करने वाले व्यक्ति का उस कारखाने के प्रबन्ध या लाभ में कोई हित न रह गया हो और पट्टा करने वाले व्यक्ति तथा पट्टेदार ने पट्टे की नोटिस नियत अधिकारी को दे दिया हो, तो धारा 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के प्रयोजनों के लिए पट्टेदार को नोटिस देने की तारीख से पट्टे के लागू रहने की अवधि तक उस कारखाने का स्वामी समझा जायगा।

(2) पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर पट्टेदार पट्टा देने वाले को धारा 5 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टरों को सौंप देगा और पट्टा देने वाला तत्काल पट्टेदार की किसी ऐसी चूक की सूचना नियत अधिकारी को देगा, जो उसने इस उपधारा के आदेशों की पूर्ति करने अथवा धारा 5 के आदेशों के अनुसार रजिस्टर रखने में की हों।

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 26, 1956 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त द्वारा (प्राविन्स) के लिये प्रतिस्थापित।

(3) यदि कोई रजिस्टर सौपने अथवा कोई रिपोर्ट देने में, जैसा कि इस धारा द्वारा आवश्यक है, कोई चूक की जाय, तो पट्टा करने वाले अथवा पट्टेदार को, जैसी भी दशा हो, अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो 50 रु0 तक हो सकता है।

स्वामित्व के हस्तान्तरण पर दायित्व

13–(1) किसी रूई ओटने अथवा रुई की गांठें बनाने के कारखाने में स्वामित्व के हस्तान्तरण पर हस्तान्तरणकर्ता उस व्यक्ति को, जिसे हस्तान्तरण किया गया हो, धारा 5 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टरों को सौंप देगा और वह व्यक्ति तुरन्त नियत अधिकारी को किसी ऐसी चूक की सूचना देगा, जिसे हस्तान्तरणकर्ता ने इस उपधारा के आदेशों की पूर्ति करने अथवा धारा 5 के आदेशों के अनुसार रजिस्टरों को रखने में की हो।

(2) यदि जैसा कि उपधारा (1) के अनुसार आवश्यक है रजिस्टर को सौंपने अथवा किसी सूचना के देने में चूक की गयी हो, तो हस्तान्तरणकर्ता अथवा उस व्यक्ति को, जिसे हस्तान्तरण किया गया हो, जैसी भी दशा हो, अर्थ-दण्ड दिया जायगा, जो 50 रु0 तक हो सकता है।

कारखानों के भवन के आवश्यक अंग

14–(1) रूई ओटने के कारणों की दशा में, जिनका निर्माण इस ऐक्ट के लागू होने के पश्चात् आरम्भ हो–

(क) रुई ओटने के भवनों में बिना ओटी हुई रूई को भीतर लाने और ओटी हुई रूई को बाहर ले जाने के लिये पृथक–पृथक प्रवेश द्वारों तथा बाहर जाने के द्वारों की व्यवस्था की जायेगी; और

(ख) कारखाने ऐसी योजनाओं तथा निर्दिष्ट रूप–रेखा के अनुसार बनाये जायेंगे, जिन्हें नियत अधिकारी ने स्वीकृत किया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कारखाने पर नहीं लागू होगी, जिसमें केवल रोलर जिन्स प्रयुक्त होते हों और जिसमें ऐसे जिनों (जिन्स) की संख्या 4 से अधिक न हो ।

(2) रूई ओटने के किसी कारखाने में चाहे वह इस ऐक्ट के लागू होने के पूर्व अथवा इसके पश्चात् निर्मित हुआ हो–

(क) ऐसे भवन की रूप–रेखा में, जिसका निर्माण फरवरी सन् 1939 ई0 की 27 तारीख के पश्चात् आरम्भ हुआ हो, कोई ऐसा हेर–फेर अथवा वृद्धि नहीं की जायेगी, जिसके फलस्वरूप उपधारा (1) के वाक्यखण्ड (क) और (ख) में वर्णित आवश्यक बातों के उस कारखाने के सम्बन्ध में पूरे होने में कमी पड़ती हो।

(ख) भवन की रूप–रेखा सम्बन्धी कोई ऐसी वृद्धि (चाहे वह कारखाने के किसी वर्तमान ढांचे से सचमुच सम्बद्ध हो अथवा न हो), जिसका निर्माण फरवरी सन् 1939 ई0 को 27 तारीख के पश्चात् आरम्भ हुआ हो, नहीं की जायेगी जो उस योजना और निर्दिष्ट रूप–रेखा के अनुसार न हो, जिसे नियत अधिकारी ने स्वीकृत किया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कारखानों पर नहीं लागू होगी, जिसमें किसी हेर–फेर या वृद्धि के किये जाने के पश्चात् केवल रोलर जिन्स प्रयुक्त होते हों और जिसमें ऐसे जिन्स की संख्या 4 से अधिक न हों।

(3) इस धारा के लागू होने के उपरान्त ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, रूई ओटने के प्रत्येक ऐसे कारखाने का स्वामी, जिसमें रूई का काम भूमि पर किया जाता हो, रूई की गांठें बनाने के भवन का फर्श पक्का करायेगा अथवा किसी अन्य प्रकार से उसका फर्श ठीक करायेगा, जो नियत अधिकारी को सन्तोषजनक हो।

(4) रुई ओटने अथवा रुई की गांठ बनाने के किसी ऐसे कारखाने के स्वामी को, जो कारखाने पर लागू होने वाली इस धारा के आदेशों में से किसी आदेश का पालन न करे, अर्थदण्ड दिया जायेगा, वो एक सौ रुपये तक हो सकता है।

(5) (क) उस दशा में जब रूई ओटने अथवा रुई की गांठ बनाने के किसी कारखाने का स्वामी उपधारा (4) के अधीन दण्डित किया जा चुका हो तो नियत अधिकारी उस कारखाने के स्वामी पर एक लिखित आज्ञा तामील कर सकता है, जिसमें उसको यह आदेश होगा कि वह निर्दिष्ट तारीख के पूर्व कारखाने में ऐसे हेर–फेर करे, जो उक्त अधिकारी के मत में उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3), जैसी भी दशा हो, के आदेशों के पालन के लिये आवश्यक हो।

(ख) उस दशा में, जब इस उपधारा के वाक्यखण्ड (क) के अधीन तामील की है आज्ञा के अनुसार हेर–फेर में किये जांए, नियत अधिकारी इस कारखाने के स्वामी और अधिवासी, यदि कोई हो, पर एक लिखित आज्ञा तामील कर सकता है, जिसमें यह आदेश होगा कि उस कारखाने में रुई ओटने अथवा उसको गांठ बनाने का कार्य उस समय तक स्थगित रखा जाय जब तक कि वाक्यखण्ड (क) के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसार हेर–फेर न कर दिए जाय और स्वामी तथा अधिवासी पर, यदि कोई हो, सम्मिलित रूप से अथवा अलग-अलग ऐसा अर्थदण्ड किया जा सकेगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये पचास रुपये तक हो सकता है, जब इस वाक्यखण्ड के अधीन दी गयी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उस कारखाने में रुई ओटी गयी हो अथवा उसकी गांठ बनायी गयी हो।

किसी कंपनी के पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व

15–यदि इस ऐक्ट के किसी आदेश या इस ऐक्ट के अधीन बनाये गये किसी नियम का अथवा इस ऐक्ट के अधीन दी गयी किसी आज्ञा या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करने वाली कोई कम्पनी अथवा अन्य संसृष्ट संस्था (बाडी कारपोरेट) हो, तो उसके अथवा उसके मैनेजिंग एजेंट के प्रत्येक डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी अथवा किसी अन्य पदाधिकारी को उस उल्लंघन के सम्बन्ध में अपराधी समझा जायेगा, जब तक कि यह न प्रतीत हो कि यह उल्लंघन उसके अनजान में हुआ अथवा उसको रोकने के लिये उसने पूरी सावधानी बरती।

अपराधों की सुनवाई का अधिकार

16–(1) जिलाधीश की अथवा प्रथम श्रेणी के किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमति के बिना, जिसे इस सम्बन्ध में [राज्य सरकार][1] ने विशेष रूप से अधिकार दे दिये हों, इस ऐक्ट के अधीन कोई अभियोग न चलाया जायगा।

(2) किसी ऐसे अपराध का अभियोग, जो इस ऐक्ट के अधीन दण्डनीय हो, कोई ऐसा न्यायालय नहीं सुनेगा, जो प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का हो।

मजिस्ट्रेट को दण्ड देने का अधिकार

17–दण्ड विधि संग्रह (कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, 1898 ई0) की धारा 32 के आदेशों के होते हुए भी प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट कोई ऐसा दण्ड दे सकता है, जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में कर दी गयी हो और उक्त संग्रह के आदेशों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उनको तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार

18–(1) [राज्य सरकार][1] सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निम्नलिखित समस्त विषयों अथवा उनमें से किसी एक विषय के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये इस ऐक्ट के अनुसार नियम बना सकती है, अर्थात् :–

(क) रुई की गांठ बनाने वाले प्रत्येक कारखाने के लिये अलग–अलग कोई ऐसा विशेष चिन्ह नियत करना जिसको वह गांठों पर अंकित करने के लिये प्रयोग करे ;

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।

(ख) वह ढंग, जिसके अनुसार गाँठों पर चिन्ह अंकित किया जायेगा;

(ग) वह ढंग, जिसके अनुसार धारा 11 में उल्लिखित विवरण प्रकाशित किये जायेंगे;

(घ) वह रूप, जिसमें रजिस्टर, लेख–पत्र (रिकार्ड) और विवरण रखे जायेंगे अथवा जिसमें वे प्रस्तुत किये जायेंगे और लेख–पत्रों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण;

(ङ) रूई की मिलावट में कौन–कौन सी वस्तुयें सम्मिलित समझी जायेंगी;

(च) वह अवधि, जो समय–समय पर ऋतु के अर्थ में समझी जाएगी;

(छ) वह अधिकारी, जिसके द्वारा वह प्ररूप जिसमें, वह प्रतिबन्ध जिनके सहित और वह शुल्क, जिसके दिये जाने पर धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन लाइसेन्स दिया जा सकता है;

(ज) वे ब्योरे, जो धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन रखे गये रजिस्टर में लिखे जांय;

(झ) बिनौले का वह अनुपात, जो रुई में सम्मिलित हो सकता है;

(ञ) वह व्यक्ति, जिसे धारा 8 के अधीन नमीं की उस मात्रा के सम्बन्ध में, जो किसी रुई में हो अथवा अन्य विषयों के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र देने का अथवा रुई की गांठों और गट्ठों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया हो;

(ट) वह विधि, जिसके अनुसार अभियोग लगाया जाय तथा किसी गांठ अथवा गट्ठे के भीतर की वस्तुओं की परीक्षा करवाई जाय और वह शुल्क, जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन गांठ अथवा गट्ठे के भीतर की वस्तुओं की जांच के लिए चुकाया जाय;

(ठ) वह ढंग, जिसके अनुसार धारा 9 के अधीन, अधिकार में ली हुई वस्तुओं पर मोहर लगाई जाय;

(ड) ऐसे अधिकारी की नियुक्ति, जिसको और वह समय, जिसके भीतर धारा 5 तथा 11 के आदेशानुसार रजिस्टर तथा विवरण प्रस्तुत किए जायं;

(ढ) धारा 12, 13 तथा 14 के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति;

(ण) वह ढंग, जिसके अनुसार धारा 14 के अधीन दी गयी आज्ञाएं तामील की जायं;

(त) प्रवेश करने तथा निरीक्षण करने का अधिकार, जिसका उपयोग जिलाधीश (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) अथवा [राज्य सरकार][1] द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी करे; तथा

(थ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे नियत करना हो अथवा जिसे नियत किया जाय अथवा जिसके लिए इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था करना आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही बनाए जा सकेंगे।

ठेकों की पूर्ति के लिए अंकित न की गई गांठों को अस्वीकार करने का अधिकार

19–(1) इस ऐक्ट के लागू होने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, जिसने रुई की गांठें खरीदने के लिए ठेका दिया हो, यह मांग कर सकता है कि उन गांठों के अतिरिक्त, जिन पर वह चिन्ह अंकित हो, जो धारा 10 के अधीन उस कारखाने के लिए नियत हो, जहां वे बनायी गयी थीं, कोई अन्य गांठें न दी जायेंगी और यदि वह ऐसी मांग करता है, तो कोई भी गांठ, जिस पर इस प्रकार का चिन्ह अंकित न हो, ठेके की पूर्ति में न दी जायगी।

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित।

(2) जब किसी गांठ पर धारा 10 के आदेशों के अनुसार चिन्ह अंकित कर दिया गया हो, तो रुई की गांठ खरीदने का ठेका करने वाले दोनो पक्षों के बीच सब प्रयोजनों के लिए भारतीय साक्ष्य विधान (दि इंडियन एविडेंस ऐक्ट, 1872 ई0) के अर्थ के अन्तर्गत यह समझा जायगा कि जिस कारखाने में यह गांठ बनी थी उससे बाहर भेजे जाने के पहले ही उस गांठ पर ऐसा चिन्ह अंकित कर दिया गया था।

ऐक्ट के अधीन किये गये कार्यों की रक्षा

20–यदि कोई व्यक्ति इस ऐक्ट या इसके अधीन कराये गये किसी नियम के अधीन यदि कोई कार्य सद्भावना से करे या करने का विचार करे, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद (दावा) या कोई अन्य वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

दण्ड

21–किसी भी व्यक्ति, जो इस ऐक्ट अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के आदेशों अथवा किसी प्रतिबन्ध का, जिसके अधीन उसे लाइसेंस दिया गया हो, उल्लंघन करता है, तो यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस ऐक्ट में पहले से किसी दण्ड की व्यवस्था नहीं है, तो उसे अर्थदण्ड दिया जायगा, जो 500 (पांच सौ) रु0 तक हो सकता है, अथवा यदि वह इस ऐक्ट अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के अधीन किसी अपराध में दण्डित हो चुका है, तो उसे अर्थ–दण्ड दिया जायगा, जो 1,500 (डेढ़ हजार) रु० तक हो सकता है।

अपराधों आदि के सम्बन्ध में राजीनामा करना

22–(क) जिलाधीश किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका लाइसेंस इस ऐक्ट के अधीन स्थगित किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है अथवा रद्द किया जा सकता है अथवा जिसके बारे में यह सन्देह करने का उचित कारण हो कि उसने इस ऐक्ट के अधीन अपराध किया है, लाइसेंस के इस प्रकार स्थगित किये जाने, वापस लिये जाने अथवा रद्द किये जाने के बदले में अथवा ऐसे अपराध के प्रायश्चित स्वरूप, कोई धनराशि ले सकता है।

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिलाधीश को ऐसी धनराशि दिये जाने पर, वह व्यक्ति, यदि हिरासत में होगा, मुक्त कर दिया जायगा, और यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी का अभियोग प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसी संधि से यह माना जायगा कि वह व्यक्ति दोष–मुक्त कर दिया गया है।